न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 376/2017 तारीख 06.11.2017

सतीष श्रीवास्तव पुत्र मुक्तिनाथ श्रीवास्तव निवासी जटवाडा खुर्द तह.स.मा.।–––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर। ––––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक 13.09.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा मिसल संख्या 481/2014 मे पारित आदेश दिनांक 06.02.20214 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जटवाडा खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 बीघा किस्म सिवायचक पर संवत 2070 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम जटवाडा खुर्द को सिवायचक भूमि मानने में अहम भूल की है यह है कि भूमि नगर पालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में स्थित है व आबादी भूमि है जिस पर अदालत मातहत को दफा 91 राज.लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। यह है कि आबादी भूमि अपीलान्ट के पिता के समय से करीब 40 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है जिसमें अपीलान्ट मकान बनाकर रह रहा है कोई काश्त का कार्य नहीं कर रहा है। यह है कि अपीलान्ट का भूमि मुन्तनाजा पर 40 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है जो कानूनन अपीलान्ट के नाम रेगुलाईजेशन होनी चाहिये किन्तु तहसीलदार साहब ने रेगूलाईज करने के बजाय भूमि से बेदखली का आदेश गैर कानूनी किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2014 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है तथा तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को मौके से बेदखल कर शास्ति आरोपित की गयी है न की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट को स्वंय को नोटिस की तामील करायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थितं हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। सरकार पेरोकार द्वारा की गयी बहस में बताया गया गया है कि अपीलान्ट को भूमि से बेदखल किया गया तथा दण्ड स्वरूप शास्ति अधिरोपित की गयी है। प्रकरण में अपीलान्ट को सजा के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौके से बेदखल कर शास्ति अधिरोपित की गयी है जिसका हर्जाना अपीलान्ट को पटवारी हल्का को रसीद कटवाकर चुकाना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट द्वारा हर्जाना चुकाने की बजाय उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। जो सारहीन होने के कारण निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तथा अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 06.02.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested